महाकाली नदी, शारदा बैराज, टनकपुर और पंचेश्वर परियोजना का एकीकृत विकास करने के संबंध में नेपाल के महामहिम नरेश की सरकार और भारत सरकार के बीच संधि

नेपाल के महामहिम नरेश की सरकार और भारत सरकार (जिन्हे इसमें एसके बाद "पक्ष" कहा गया है

जल संसाधनों के विकास में सहयोग के लिए अपने मैत्री तथा निकट पंतिवेशी संबंधो कों संबर्धित करने और मजबूत बनाने के निश्चित की पुन पुष्टि करते हुए;

इस बात को स्वीकार करते हुए कि महाकाली नदी दोनों देशों के बीच बहुत दूर तक फैली हुई सीमा-नदी है;

महाकाली नदी के जल और इसके समुपयोजन के संबंध में अपनी-अपनी बाध्यताओं और तदनुरूप अधिकारों तथा कर्तव्यों को परिभाषित करने के लिए समान भागीदारी के आधार पर एक संधि संपन्न करने की इच्छा को स्वीकार करते हुए;

१९९० में हुए पत्रों के उस आदान-प्रदान पर गौर करते हुए जिनके माध्यम से दोनों पक्ष महाकाली नदी पर शारदा बैराज के निर्माण के संबंध मे एक व्यवस्था पर सहमत हुए थे जिसके तहत नेपाल को उक्त बैराज से कुछ जल प्राप्त करना है;

टनकपुर बैराज, जिसका निर्माण महाकाली नदी पर भारत ने किया हैं जिसक ाउक भाग जिमुवा में पूर्वी प्रवाह बंध और नेपाली प्रदेश के अन्तर्गत आने-वाले उक्त बंध का जलाशय क्षेत्र है, के संबंध में संयुक्त आयोग की ४-५ दिसम्बर, १९९१ को हुई बैठक में लिए गए निर्णय तथा २१ अक्तूबर, १९९२ को प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान जारी संयुक्त विज्ञप्ति का स्मरण करते हुए;

इस बात पर गौर करते हुए कि दोनों पक्ष संयुक्त रूप से पंचेश्वर वहुउद्देश्यीय परियोजना की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहे है जिसे महाकाली नदी पर क्रियान्वित किया जायगा

अतएव, अब, दोनों पक्ष एतद् द्वारा नीचे लिखे अनुसार सहमत ह :

अनुच्छेद - एक

१. नेपाल शारदा बैराज से वर्षा ऋतु (अर्थात १५ मई से १५ अक्तूबर तक) २८.३५ मी/से. (१००० क्यूसेक्स) औ शुष्क मौसम (१६ अक्तूबर से १४ मई तक) ४.२५ मी/से. (१५० क्यूसेक्स) जल की आपूर्ती का अधिकारी होगा।

२. भारत महाकाली नदी पर शारदा बैराज के अधोप्रवाह की गति को एक बिंदु पर बनाए रखेगा कि वह १० मी/से. (३५० क्यूसेक्स) से कम न हो ताकि नदी कि परिस्थितिकीए व्यवस्था को बनाए रखा जा सके।

३. यदि किसी कारणवश शारदा बैराज क्रियाशील नदी रहता है तो :

(क) नेपाल को यस अधिकार होगा कि वह यहाँ अनुच्छेद २ के पैरा २ में उल्लिखित मुख्य रेगुलेटर (रेगुलेटरों) का इस्तेमाल करके इक अनुच्छेद के पैरा। में उल्लिखित जल की आपूर्ति कर ले। जल की यह आपूर्ति नेपाल को की जाने वाली अनुच्छेद २ के पैरा २ में उल्लिखित जल-आपूर्ति के अतिरिक्त होगी।

(ख) भारत शारदा बैराज के अनुप्रवाह टनकपुर विद्युत केन्द्र से नदी के प्रवाह को इस अनुच्छेद कै पैरा २ के अनुसार कायम रखेगा।

अनुच्छेद - दो

४-५ दिसम्बर, १९९१ के संयुक्त आयोग और २१ अक्तूबर १९९२ को भारत के प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान जारी संयुक्त विज्ञप्ति में लिए गए निर्णयों के अनुकम में दोनो पक्ष नींचे लिखे अनुसार सहमत हुए है:

१. जिमुवा में टनकपुर बैराज के पूर्वी प्रवाह बंध के निर्माण करने और उसे नेपाली प्रदेश में ई एल २५० मी. पर जोड्ने के लिए अपने प्रदेश में महेन्द्र नगर नगरपालिका क्षेत्र में जिमुवा गांव मे करीब ५७७ मी. लम्बी (करीब २.९ हैक्टेयर क्षेत्रफल) जमीन का टुकडा तथा सीमा पर दोनों और नो मैनंस लैण्ड का कुछ भाग प्रयोग करने के लिए नेपाल ने अपनी सहमति दी हैं। इस प्रकार जिस भूमि का उपयोग करने के लिए नेपाल ने सहमति दी है, वह भूमि, और उस भूमि के पश्चिम में नेपाल-भारत सीमा तक की भूमि (करीब ९ हैक्टेयर), जो तालाब का एक भाग है भाग है तथा उस क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक संसाधन

सम्पदा पर नेपाल की संप्रभुता तथा नियन्त्रण बना रहेगा और नेपाल उस पर सभी परिचारी अधिकारों का प्रयोग करने लिए स्वतंत्र है ।

२. जिमुवा पर इस प्रकार से निर्मित टनकपुर बैराज के पूर्वी प्रवाह के बंध के एवज में नेपाल को निम्नलिखित का अधिकार होगाः

(क) इस संधि के प्रवर्तन के तारीख से बरसाती मौसम (अर्थात १५ मई से १५ अक्तूबर तक) के दौरान २८.३५ मी/से. (१००० क्यूसेक्स) जल तथा शुष्क मौसम (अर्थात १६ अक्तूबर से १४ मई तक) के दौरान ८.५० मी/से. (३०० क्यूसेक्स) जल की आपूर्ति । इस प्रयोजन के लिए तथा इसके अनुच्छेद - एक के प्रयोजन के लिए भारत टनकपुर बैराज के दक्षिणी जल प्रवाह के निकट प्रमुख रेग्यूलेटर (रों) और नेपाल-भारत सीमा तक अपेक्षित क्षमता की नहरों का निर्माण करेगा । दोनों देश यन प्रमुख रेग्युलेटरों और नहरों को संयुक्त रूप से परिचालित करेंगे ।

(ख) इस संधि के प्रवर्तन की तारीख से वार्षिक आधार पर ७० मिलियन किलोवाट - घण्टा (युनिट) बिजली की निःशुल्क आपूर्ति । इस प्रयोजन कें लिए भारत टनकपुर विद्युत स्टेशन (इस समय जिसकी संस्थापित क्षमता १,२०,०००) किलोवाट है और ९० प्रतिशत वार्षिक प्रवाह पर ४४८.४ मिलियन किलोवाट (घण्टा विद्युत वार्षिक उत्पादन कर रहा है) से नेपाल-भारत सीमा तक १३२ किलोवाट ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण करेगा ।

३. टनकपुर बैराज पर भण्डारण की किसी परियोजना(ओं) और टनकपुर बैराज की पंचेश्वर वहुउद्देश्यीय परियोजना प्रवाह के निर्माण के समय निम्नलिखित प्रबंध किए जाएंगे :

(क) नेपाल को अतिरिक्त जल की आपूर्ति के लिए नेपाल भारत सीमा तक यथा अपेक्षित अतिरिक्त प्रमुख रेग्यूलेटरों और आवश्यक नहरों का निर्माण किया जायगा । ये मुख्य रेग्यूलेटर तथा नहरें संयुक्त रूप से परिचालित की जाएंगी ।

(ख) महाकाली नदी के प्रवाह में संवर्धन की तारीख से नियमित आधार पर नेपाल कों टनकपुर विद्युत स्टेशन से उत्पन्न हुई संवधित ऊर्जा के आधे भाग के बराबर अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी ओर नेपाल अतिरिक्त परिचालन लागत का आधा भाग वहन करेगा ओर यदि आवश्यक हुआ तो वह इस संवर्धित ऊर्जा के उत्पादन के लिए टनकपुर विद्युत स्टेशन पर आधी अतिरिक्त पूंजीगत लागत भी वहन करेगा ।

अनुच्छेद - तीन

पंचेश्वर वहुउद्देश्यीय परियोजना (जिसे इसमें इसके बाद "परियोजना" कहा गया हैं) का निर्माण महाकाली नदी पर उस जगह किया जाएगा जहाँ वह दोनों देशों के बचि सीमा का रप लेती है और इस प्रकार दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हें कि दोनों पक्षों द्वारा महाकाली नदी के जल के वर्तमान उपयोग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना महाकाली नर्दा के जल के उपयोग के संबंध मे दोनों पक्षों द्वारा महाकाली नदी के जल के वर्तमान उपयोग को प्रतिकुल रूप से प्रभावित किए विना महाकाली नर्दा के जल के उपयोग के संबंध मे दोनो पक्षों की वरावर की हकदारी होगी । इस प्रकार दानो पक्षों ने उनके द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जा रही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार महाकाली नदी परियोजना को कियान्वित निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा :

१. इस परियोजना को दोनों पक्षों के वीच होने वाली सहमति से इस तरह डिजाइन किया जायगा ताकि उससे अधिक से अधिक समग्र निवल लाभ मिल सके । इस परियोजना के विकास के परिणामतः दोनो पक्षों को विजली, सिंचाइ, बाढ नियंत्रण आदि के रूप में मिलने वाले लाभों का आकलन किया जाएगा ।

२. इस परियोजना को एक ऐसी एकीकृत परियोजना के रूप में कियान्वित किया जायगा अथवा कियान्वित कराया जाएगा जिसमें महाकाली नर्दा के दानो ओर बराबर-बराबर क्षमता वाले बिजलीघर होंगे दोनों परियोजनाओ का परिचालन एकीकृत तरीके से किया जाएगा और उत्पन्न कुल ऊर्जा का बटवारा दोनों के बीच समान रूप से होगा ।

३. दोनों पक्ष परियोजना की लागत उन्हें होने वाले लाभों के अनूपात में वहन करेंगे । दोनों पक्ष इस परियोजना के कियानवयन के लिए अपेक्षित वित्न व्यवस्था करने हेतू संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे ।

४. नेपाल के हिस्से की ऊर्जा का एक भाग भारत को बेचा जाएगा । इस ऊर्जा की मात्रा और उसका मुल्य दानों पक्ष परस्पर सहमति से तय करेंगे ।

अनुच्छेद - चार

भारत नेपाली प्रदेश के दोधारा-चादनी इलाके की सिंचाइ के लिए १० मिलियन घन मीटर प्रति से. (३५० क्यूसेक) जल की आपुर्ति करेगा ।

अनुच्छेद - पाँच

१. महाकाली नदी के जल के उपयोग के संदर्भ में नेपाल की जरुरतों को प्रमुखता दी जाएगी ।

२. दोनों पक्षों को यस अधिकार होगा कि वे इस संधि तथा दोनो पक्षों के बीच किसी परवर्ती करार के अनुसार टनकपुर बैराज औरअथवा परस्पर तय अन्य स्थलों से महाकाली नदी से आपने हिस्से का जल ले सकते है ।

अनुच्छेद - छह

यहाँ उल्लिखित परियोजना से भिन्न अन्य परियोजना, जो महाकाली नदी उस स्थान पर विकसित की जानी हो, जहा यह नदी सीमा के रूप मे हो, इस करार द्वारा संस्थापित सिद्धान्तो के आधार पर दोनों पक्षों की सहमति से डिजायन की जाएगी और कार्यान्वित की जाएगी ।

अनुच्छेद - सात

दोनों पक्ष इस वातका वचन लेते हैं कि दोनों में से कोई भी पक्ष दोनों पक्षों के बीच सहमति के सिवाय महाकाली नदी के प्राकृतिक प्रवाह और स्तर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हूए उसके जल का प्रयोग नही करेगा अथवा उसके जल के प्रवाह में बाधा नही डालेगा अथवा उसका अपवर्तन नही करेगा । परन्तू यस संधि महाकाली नदी के दानों ओर वसे स्थानीय समूदायों को इस नदी के जल का उपयोग करने से नही रोकेगी जो पंचेश्वर के औसतन वार्षिक प्रवाह प्रवाह के पाँच (५) प्रतिशत से अधिक न हो ।

अनुच्छेद-आठ

यह संधि किसी भी पक्ष को अपनी प्रादेशिक सीमा के भितर स्वतंत्र रूप से महाकाली नदी की सहायक नदियो में कार्यन्वित किए जाने वाले ऐसे किसी कार्य की आयोजना करने, सर्वेक्षण करने, विकास करने तथा प्रचलन करने से नही रोकेगी जो इस संधि के अनुच्छेद - सात के प्रावधानों को प्रभावित नही करती हो ।

अनुच्छेद - नौ

१. एक महाकाली नदी आयोग होगा (जिसे एमि इसके वादमे "आयोग" कहा गया है) । यह आयोग समानता, पारस्परिक लाभ और दोनों में से किसी भी पक्ष को क्षति न पहुँचाने के सिद्धान्तों से निर्देशित होगा ।

२. इस आयोग में दोनो के बराबर-बराबर प्रतिनिधि होंगे ।

३. इस आयोग के कार्य अन्य वातों के साथ-साथ निम्नलिखित होंगे :

(क) इस सन्धि में शामिल ढाँचो के संबंध मे सूचना मंगाना तथा, यदि आवश्यक हो तो उन सभीका निरीक्षण करना और ऐसे उपाय करने के लिए दोनों पक्षोंको सिफारिशें देना जो इस संधि के प्रावधानोंको कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक होंगे ।

(ख) इस संधि मे विचारित तथा इसके प्रावधान के अनुसार महाकाली नदी के संरक्षण और उसके उपयोग के लिए दानों पक्षोंको सिफारिशें करना ।

(ग) परियोजनाओं का विशेषज्ञताकी दृष्टि से मूल्यांकन कराना तथा उसके बारे में सिफारिशें देना ।

(घ) इस संधि के कार्यान्वयन से उत्पन्न कार्य योजनाओं का समन्वय और मोनिटर करना, और

(ङ) इस संधि की वाख्या तथा इसे लागू करने के संबंध में दोनो पक्षों के बीच उत्पन्न किसी प्रकार के मतभेदों की जांच करना ।

४. इस आयोग के खर्च दोनों पक्ष बराबर-बराबर वहन करेंगे ।

५. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ १ और २ के अनुसरण में जैसे ही आयोगका गठन हो जाता है तो वह क्रियाविधि नियमोंका प्रारूप तैयार करेगा जिसे दोनों पक्षों को उनकी सहमति के लिए भेजा जाएजा ।

६. आयोग की क्षमता के भीतर आने वाले मामलों पर प्रत्यक्ष रूप से कारवाई करने कें लिए दोनों पक्षों को अधिकार होगा ।

अनुच्छेद - दस

दोनों पक्ष अपने पारस्परिक लाभ के लिए अपने पारस्परिक लाभ के उद्देश्य से नयी परियोजनाओं जिनमें महाकाली नदी पर पंचेश्वर वहुउद्देश्यीय परियोजना भी शामिल है, के विकास, निष्पादन तथा परिचालन के लिए परियोजना विशेष संयुक्त निकाय/निकायों का गठन करेंगे ।

अनुच्छेद - ग्यारह

१. इस संधि के अनुच्छेद - नौ के तहत यदि आयोग दोनों पक्षों के मतभेदों की ऐसे मतभेद आयोगको सौपने के तीन (३) महीने के भीतर जाँच करने के बाद अपनी राय की सिफारिश करने मे असमर्थ रहता है अथवा दोनों में से कोई भी पक्ष आयोग की सिफारिश से असहमति व्यक्त करता है तो ऐसा समझा जायगा कि विवाद पैदा हो गया है और इस स्थिति में उन्हें निर्णय के लिए विवाचन के समक्ष पेश किया जायगा । ऐसा करने के लिए दोनों में प्रत्येक पक्ष एक दुसरेको तीन (३) महिने की पेशगी सूचना देंगे ।

२. विवाचन एक ऐसे अधिकरण द्वारा किया जायगा जिसमें तीन विवाचक होंगे । नेपाल और भारत एक एक विवाचक नामित करेंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी देश अपना राष्ट्रिय नामित नही करेगा तथा तीसरा विवाचक संयुक्त रूप से नियुक्त किया जायगा, जो अधिकरण के सदस्य के रूप में, ऐसे अधिकरण की अधयक्षता करेगा । उस स्थिति में जबकि दोनों पक्ष प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात नब्बे (९०) दिन के अन्दर तीसरे विवाचक की नियुक्ती पर सहमत न हो, दोनों में से कोई भी पक्ष, हेगस्थित स्थायी विवाचन न्यायालय के महासचिव को ऐसे विवाचक की नियुक्ती करने, जो दोनों में से कीसी भी देशका राष्ट्रिय नही होना चाहिए, का अनुरोध कर सकते है ।

३. विवाचन की क्रियाविधियां विवाचन अधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएंगी और विवाचन कों के बहुमत का निर्णय अधिकरण का निर्णय माना जाएगा । इस अधिकरण की कार्यवाही अंग्रेजी में संचालित की जाएगी तथा ऐसे अधिकरण के निर्णय लिखित रूप में दिए जाएंगे । दोनों पक्ष इस निर्णय को अंतिम, निर्णायक और वाध्यकारी रूप मे स्वीकार करेंगे ।

४. विवाचन के स्थान, विवाचन अधिकरण की प्रशासनिक सहायता तथा उसके विवाचन को के पारितोषण एवं खर्चो अे लिए प्रावधान इस प्रकार होंगे जैसाकि दोनों पक्षों के बीच पत्रों के आदान-प्रदान से सहमति हो । दोनो पक्ष इस संधि के तहत उठने वाले मतभेदों के समाधान के लिए वैकल्पिक क्रियाविधियों के संबंध में ऐसे पत्रों के आदान-प्रदान के जरिए सहमति भी दे सकते है ।

अनुच्छेद - बाहर

१. इस संधि के सम्पन्न होने के पश्चात, शारदा बैराज और टनकपुर बैराज से महाकाली नदी के जल के उपयोग के संबंध में दोनो पक्षों के मध्य हुई पूर्ववर्ती सहमति, जिसे इसमें शामिल कर लिया गया हैं, के वार में यह समझा जाएगा कि उसका स्थान इस संधि ने ले लिया है ।

२. यस संधि अनुसमर्थन के अध्यधीन होगी और अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से प्रभावी हो जाएगी । यह संधि लागू होनेकी तारीख से पचहत्तर (७५) वर्षों की अवधि तक वैध रहेगी ।

३. इस संधि की समीक्षा दस दस (१०) वर्ष की अवधि के वाद अथवा उससे पूर्व यदि दोनों मे से कोई पक्ष ऐसा चाहता हो, दोनों पक्षोंद्वारा की जाएगी और आवश्यकतानुसार उसमें शंसोधन किए जा सकते है ।

४. इस संधि के प्रावधानोंको प्रभावी रूप दिने के लिए दोनों पक्षोंद्वारा आवश्यकतानुसार करार सम्पन्न किए जाएंगे ।

जिसके साक्ष्य स्वरूप अपनी सरकारोंद्वारा इस पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने नेपाली, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में सम्पन्न इस संधि के दो-दो मूल पाठों पर हस्ताक्षर किए गए है और अपनी-अपनी मोहर लगाई है, ये सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । शंका की स्थिति मे अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा ।

यह संधि नई दिल्ली भारत में ईसवी सन् एक हजार नौ सो छियानवे के फरवरी मास के बारहवें दिन सम्पन्न की गई ।

शेरबहादुर देउवा
प्रधानमंत्री
नेपाल के महामहिम नरेश की सरकार

पीवी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री
भारत ।